भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3567

सोमवार, 10 अगस्त, 2026/ 19 श्रावण, 1948 (शक)

ईपीएफओ निकासी में संशोधन

†3567.श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भविष्य निधि शेष और पेंशन जमा राशि को आंशिक या पूरी तरह से निकालने की शर्तों के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा हाल ही में अधिसूचित संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों या नियोक्ताओं की ओर से विशेषकर 25 प्रतिशत न्यूनतम शेष और पेंशन निकालने के लिए 36 माह की प्रतीक्षा अवधि से संबंधित इन नए नियमों के श्रमिकों की बचत तक पहुंच पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई सुझाव या आपत्तियां प्राप्त हुई हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने श्रमिकों की वित्तीय सुरक्षा और नकदी पर इन परिवर्तनों के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई समीक्षा या परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा निकासी पर लगी इन पाबंदियों से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों या कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए किए जाने वाले सुधारात्मक या राहत उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) और (ख): ईपीएफओ ने समय-पूर्व अंतिम ईपीएफ निपटान के लिए 12 माह की प्रतीक्षा अवधि और ईपीएस के अधीन निकासी लाभों के लिए 36 माह की प्रतीक्षा अवधि शुरू की है।

इसके साथ ही ईपीएफओ ने आंशिक निकासी और अग्रिमों को उदार एवं सरल बनाया है। सदस्य, तीन व्यापक शीर्षों अनिवार्य आवश्यकताओं, आवास की आवश्यकताओं और विशेष परिस्थितियों–के अधीन अपनी शेष राशि का 75% तक निकाल सकते हैं। यह बेरोजगारी से संबंधित खर्चों, चिकित्सा आपात स्थितियों, शिक्षा, आवास और अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए निधियों तक पहुंच को समर्थ बनाता है।

जारी/2--

इसके अलावा, सदस्य बिना कोई कारण बताए विशेष परिस्थितियों में प्रत्येक वर्ष 2 बार अपनी शेष राशि का 75% प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग): केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी), ईपीएफ में मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता संघों दोनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के सरकारी प्रतिनिधि शामिल हैं। उपर्युक्त सभी संशोधनों को सीबीटी की 238वीं बैठक में रखा गया था, जहां संशोधनों को अधिसूचित करने के लिए भारत सरकार को सिफारिश करने से पहले इन पर विस्तार से चर्चा और विचार-विमर्श किया गया था।

(घ): ईपीएफओ, स्वीकार्य अग्रिमों का समयबद्ध संवितरण सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण, आउटरीच और डिजिटल दावा निपटान को सुदृढ़ कर रहा है।
